संख्या-5/2015/3805/71-2-14-आर0एम0-01/2014टी0सी0

प्रेषक,

ऋषिकेश दुबे,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
गोमतीनगर, लखनऊ ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 15 जनवरी, 2015**

विषयः- वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के क्रम में डा0रा0म0लो0 आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ के फार्मासिस्ट संवर्ग को संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) के नवम प्रतिवेदन भाग-1 में राजकीय विभागों के फार्मासिस्ट संवर्ग के सम्बन्ध में की गई संस्तुतियों पर शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-404/दस-54(एम)/2008टी0सी0 दिनांक 18 मार्च, 2011 में लिए गये निर्णय तथा वेतन समिति (2008) के चौदहवें प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर राजकीय विभागों के फार्मासिस्ट संवर्ग के संबंध में की गयी संस्तुतियों पर शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-109/दस-54(एम)/2008टी0सी0 दिनांक 27 फरवरी, 2013 में लिए गये यह निर्णय कि स्वशासी संस्थाओं के सामान्य श्रेणी के पदों पर राजकीय विभागों के सामान्य श्रेणी के पदों के संबंध में वेतन समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के अनुसार वेतनमान एवं संवर्गीय ढॉचा लागू किया जाय, के अनुपालन में डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ के फार्मासिस्ट संवर्ग के पदों पर दिनांक 27 फरवरी, 2013 से निम्नानुसार वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन व भर्ती की प्रक्रिया/अर्हता प्रतिस्थापित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1. संस्थान के फार्मेसिस्ट संवर्ग में उपलब्ध फार्मेसिस्ट के पद पर Entry Grade वेतनमान रू0 4500-7000 (सादृश्य वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800) तथा Entry Grade में दो वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर नान फंक्शनल आधार पर वेतनमान रू0 5000-8000 (सादृश्य वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200) अनुमन्य कराया जाय।

क्र0सं0	पदनाम/वेतनमान (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन (रू0)	भर्ती की प्रक्रिया/अर्हता
1	2	3
1	फार्मासिस्ट / 4500-7000 (वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800)	शत प्रतिशत सीधी भर्ती अर्हता- इण्टरमीडिएट (गणित या बायोलॉजी ग्रुप) तथा स्टेट मेडिकल फैकल्टी उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त 02 वर्ष 03 माह की अवधि का फार्मेसी में डिप्लोमा एवं स्टेट फार्मेसी कौन्सिल, उत्तर प्रदेश में पंजीकृत।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. उक्तानुसार संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान 27-02-2013 से अनुमन्य करायें जायें।
3. उक्त संस्थान के सभी कार्मिकों के लिए वित्तीय स्तरोनयन की जो सामान्य व्यवस्था लागू होगी वही व्यवस्था फार्मेसिस्ट संवर्ग के पदों पर भी लागू होगी। ए0सी0पी0 के अंतर्गत देय लाभ हेतु अलग से संस्तुति किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

2- उपर्युक्त संशोधित वेतनमान से संबंधित कार्मिको का वेतन निर्धारण वित्त वेतन आयोग अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- वे0आ0-2-577/दस-59(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 29.06.2010 एवं सपठित शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-841/दस-2009-59(एम)/2008, दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 में वर्णित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

3- संबंधित सेवा नियमावली में यथा अपेक्षित संशोधन यथाशीघ्र कर लिया जायेगा।

4- यह शासनादेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वे0आ0-1/961/दस-2014, दिनांक 09/01/2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नकः-यथोक्त।

भवदीय,

(ऋषिकेश दुबे)
अनु सचिव।

संख्याः-5/2015/3805(1)/71-2-2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. वित्त अधिकारी, डा0 रा0म0लो0 आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त(वेतन आयोग) अनु0-1/वित्त(बजट) अनुभाग-1/2।
6. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दुबे)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।